झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

शिक्षा सत्र 2019-21 में नामांकन तथा सीट वृद्धि के संबंध में आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 36/2019

एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य अवस्थित स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों, स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त इंटर महाविद्यालयों, डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालय के प्राचार्यों को सूचित किया जाता है कि पूर्व के सत्रों में महाविद्यालय को पूर्व निर्धारित सीटों के अतिरिक्त समय-समय पर नामांकन की अनुमति दी गई थी। चूँकि सत्र विशेष के लिए ही यह प्रभावी था, और सत्र की समाप्ति पश्चात् उसकी अवधि समाप्त हो गई है। अतः पूर्व के सत्रों में किसी भी रूप में दी गई सीट वृद्धि आदेश/प्रातःकालीन कक्षा संचालन की दी गई अनुमति को सत्र की समाप्ति पश्चात् निरस्त किया जाता है और निदेश दिया जाता है कि शिक्षा सत्र 2019-21 एवं आगामी सत्रों के लिए संबंधित संकायों में महाविद्यालयों में निम्नांकित सीट से अधिक नामांकन नहीं लें-

1. स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 128
2. स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 384
3. डिग्री सम्बद्ध महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 384
4. अंगीभूत महाविद्यालय- प्रत्येक संकाय में 512

उपर्युक्त सीट संख्या के अतिरिक्त सीट वृद्धि यदि आवश्यक हो तो (स्थापना अनुमति प्राप्त इंटर महाविद्यालय को छोड़कर) अपना आवेदन निम्नांकित बिन्दुओं पर साक्ष्य सहित परिषद् कार्यालय में **दिनांक 31.05.2019** तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे, ताकि जाँचोपरान्त सीट वृद्धि पर समुचित निर्णय लिया जा सके।

1. संबंधित संकाय की सीट वृद्धि हेतु महाविद्यालय को उपलब्ध Infrastructure (वर्ग कक्ष में वृद्धि की स्थिति में तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला) की स्थिति का विवरण।
2. संबंधित संकाय के शिक्षकों का विवरण।
3. वर्ष 2019 के परिणाम घोषित पश्चात् उनके परीक्षाफल का प्रतिशत (छात्र संख्या सहित)

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/कॉ.स्था./1477/2019/SECY/273/19 **ह./-**

Dt. 15.05.2019 **सचिव,**

D.O.P: 16.05.2019 **झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।**